संख्या- 07/2018/390/क0नि0प्र0/26-3-2018-14(49)/2014

प्रेषक,

सुधा श्रीवास्तव ,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, लखनऊः दिनांकः 16 मार्च,2018
समाज कल्याण विभाग

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-2487/स0क0/आधारभूत सुविधा विकास/2017-18 दिनांक 12 मार्च 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-03/2018/193/ क0नि0प्र0/26-3-2018-14(49)/2014 दिनांक 23 फरवरी, 2018 द्वारा जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-कटेहरी के ग्राम रानीपुर मोहन, कुर्मीडीहा, पीठापुर सरैया तथा बेनीपुर एवं विकास खण्ड भीटी के ग्राम रूदऊपुर के अधूरे कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु देय अवशेष धनराशि रू0 2,49,36,500/- (रू0 दो करोड़ उनचास लाख छत्तीस हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखी गयी है। उक्त शासनादेश दिनांक 23 फरवरी, 2018 में उल्लिखित शर्त संख्या-1 के स्थान पर निम्नवत शर्त स्थापित पढी एवं समझी जाय-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आवंटन निदेशक,समाज कल्याण द्वारा तत्काल जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) अम्बेडकरनगर को योजना के क्रियान्वयन हेतु किया जायेगा और जिला समाज कल्याण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अधिकारी (विकास) द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण कराकर धनराशि निर्माणइकाई को उपलब्ध करायी जायेगी।

2- उक्त शासनादेश संख्या-03/2018/193/ क0नि0प्र0/26-3-2018-14(49)/2014 दिनांक 23 फरवरी, 2018 को इस सीमा तक संशोधित समझा एवं पढा जाय तथा शासनादेश दिनांक 23 फरवरी, 2018 की शेष शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत रहेगें।

भवदीया,

सुधा श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव

पृ.संख्या-07/2018/390 (1)/क0नि0प्र0/26-3-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, अम्बेडकर नगर।
4- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), अम्बेडकर नगर।
6- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड अम्बेडकर नगर।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ।
8- गार्डफाइल ।

आज्ञा से,

सुधा श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।